खण्ड अधिकारी
[illegible]

10/3/26

वकीलान उपस्थित। पत्रावली पर मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। जिसके कारण अब प्रा० पत्र प्रचलन चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र प्रचलन [illegible] निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नस्थी से कम हो।

SD [illegible]